विवरण

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए की गई राज्यवार अस्थाई व्यवस्था

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम परि-व्यय (रुपये लाखों में)
(1)	(2)
राज्य	
1. आन्ध्र प्रदेश .	33.00
2. असम . .	23.50
3. बिहार . .	49.00
4. गुजरात . .	30.00
5. हरियाणा . .	..
6. हिमाचल प्रदेश .	7.00
7. जम्मू व काश्मीर .	1.00
8. कर्नाटक . .	32.50
9. केरल . .	15.00
10. मध्य प्रदेश . .	4.00
11. महाराष्ट्र . .	67.00
12. मणिपुर . .	1.00
13. मेघालय . .	2.50
14. नागालैण्ड . .	1.00
15. उड़ीसा . .	27.00
16. पंजाब . .	4.00
17. राजस्थान . .	4.80
18. तमिलनाडु . .	12.25
19. त्रिपुरा . .	..
20. उत्तर प्रदेश . .	45.25
21. पश्चिम बंगाल .	24.00
कुल . .	383.80
संघ शासित क्षेत्र	
22. अंडमान व निकोबार	0.68
23. अरुणाचल प्रदेश .	1.80
24. चण्डीगढ़ . .	1.00
25. दादरा व नागर हवेली	..
26. दिल्ली . .	9.50
27. गोवा, दमन व दीव .	2.50
28. लक्षद्वीप . .	..
29. मिजोरम् . .	0.50
30. पांडिचेरी . .	1.20
कुल	17.18
समस्त राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र .	400.98

व्यवसाय प्रधान शिक्षा

7016. श्री राम हेडाऊ : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा को व्यवसाय प्रधान बनाने के लिए विचाराधीन योजनाओं की संक्षिप्त रूप रेखा, अनुमानित व्यय और इन्हें लागू करने की समय सारिणी क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : यह आशा कि जाती है कि शिक्षा की नई पद्धति, जिसमें 10 वर्षीय सामान्य स्कूल शिक्षा-तथा 2 वर्षीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा शामिल है, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सारे देश में लागू हो जाएगी।

2. जबकि कार्य अनुभव के साथ सामान्य शिक्षा कक्षा 1 से 10 में प्रदान की जाएगी, यह आशा की जाती है कि 8 वी कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों में से लगभग 20 प्रतिशत छात्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, व्यवसाय स्कूलों इत्यादि में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। उच्चतर माध्यमिक स्तर की 11वी और 12वी कक्षाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाएगी ताकि छात्र रोजगार प्राप्त कर सके। तथापि, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उन छात्रों के लिए क्षेत्रों का स्थानान्तरण होगा ताकि यदि वे चाहें, तो उच्च स्तर के पाठ्यक्रम जारी रख सकें।

3. राज्य सरकारें पांचवी योजना में कार्यान्वियन के लिए उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायिकरण के कार्यक्रम तैयार कर रही हैं। तथापि, अनेक राज्य सरकारों ने केन्द्रीय मार्गदर्शन और सहायता के लिए अनुरोध किया है। राज्य सरकारों को अपनी-अपनी योजनाएं तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने में सहायता करने की दृष्टि से भारत सरकार ने पांचवीं योजना में चुने हुए स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरु करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव किया है। इस योजना में 1,000 स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम

शुरू करने की परिकल्पना है जिसमें क्रमिक तरीके से 1 लाख छात्र शामिल किए जाएंगे।

इन स्कूलों की कार्य प्रणाली से प्राप्त अनुभव के आधार पर यह आशा की जाती है कि राज्य सरकारें इस योजना को आवश्यकतानुसार विस्तृत रूप देंगी। ये सभी योजनाएं व्यावसायिक तथा व्यापार विद्यालयों, पोलिटिक्निकों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की मौजूदा योजनाओं की पूरक हैं।

4. योजना की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(i) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को रोजगार क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाएगा। किसी विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या शिक्षक छात्र के अनुपात स्तर पर निर्भर न करके निपुण कार्मिकों को रोजगार देने वाली संस्थाओं की माग पर निर्भर करेगी।

(ii) राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र ऐसी संस्थाओं का चयन करेंगे जिन में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अधिक धन राशि खर्च किए बिना लागू किया जा सके। जहां तक संभव हो, संस्थाओं का चयन उन बहु-उद्देशीय विद्यालयों, जूनियर तकनीकी विद्यालयों तथा अन्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तक सीमित होगा जिनमें व्यावसायिक शिक्षा के लिए पहले से ही कुछ सुविधाएं विद्यमान होंगी। क्योंकि विभिन्न स्तरों पर इंजीनियरी पाठ्यक्रमों में पर्याप्त सुविधाएं पहले से ही विद्यमान है अतः योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से वाणिज्य अभ्यास, होटल प्रबंध और कैटरिंग प्रौद्योगिकी, डिब्बाबंदी व खाद्य संरक्षण, बेकरी तथा मिष्टान्नशाला, पर्यटक गाइड, दूकान-सहायक तथा पुस्तक व्यापार आदि जैसे गैर-इंजीनियरी पाठ्यक्रमों पर बल दिया जाएगा।

(iii) विकसित किए जाने वाले नए पाठ्यक्रमों में; व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त सामान्य शिक्षा की भी पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था होगी।

(iv) यद्यपि सैद्धान्तिक शिक्षा की व्यवस्था संस्थाओं में की जाएगी, तथापि प्रयोगात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था नियोक्ता संस्थाओं में और उनके सहयोग से की जाएगी। मौजूदा शैक्षित तथा व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं का पूरा-पूरा उपयोग किया जाएगा।

(v) नए पाठ्यक्रमों में औसतन, प्रत्येक चुनी हुई संस्था में 100 छात्र शामिल होंगे।

(vi) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों के लिए उपयुक्त स्तर पर डिग्री अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों प्रवेश तथा उनके द्वारा पहले पूरे किए गए पाठ्यक्रमों के क्रेडिटों के हस्तांतरण की व्यवस्था की जाएगी। तकनीकी व्यावसायिक तथा सामान्य विषयों के बीच अन्तर परिवर्तन की भी व्यवस्था की जाएगी।

5. राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा औसत रूप से, 1000 विद्यालयों को प्रत्येक विद्यालय की एक लाख रुपये के हिसाब से सहायता दिए जाने की आशा है। योजना पर कुल अनुमानित व्यय 10 करोड़ रुपये होगा।

6. आशा है, योजना पांचवीं योजना के दौरान पूरी हो जाएगी।

Implementation of Sugarcane Prices Announced by Tamil Nadu Government

7011. SHRI M. R. LAKSHMINARAYANAN : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4709 on the 16th December 1974, regarding implementation of sugarcane price for 1973-74 season announced by Tamil Nadu Government and Unstarred Question No. 828 on the 24th February'1975 regarding implementation of sugarcane price by sugar factories in Tamil Nadu and state ;

(a) whether the Central Government has no prowers to enforce sugar factories to pay the price advised by the State Government over and above the statutory minimum price ; and